न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—99/2016
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—53 आरटीए

1. वीर सिह पुत्र टहल सिह जाति मजबी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। — वादी

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र श्री सुरजाराम
2. राकेश } पि.प्रभुराम
3. हरबंश }
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

} जाति बावरी साकिन ढाणी 1 एमजेडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री प्रमोद डेलू अधिवक्ता — वादी

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादी की चक 1 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत 2070—73 खाता संख्या 38/41 के सांझा खाता कुल 1.366 है. नहरी व 0.151 है. इस प्रकार कुल 1.517 है मय गैमु मे से 0.506 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जो कि जरिये बैयनामा खरीद शुद्वा जिसका इन्तकाल जमाबन्दी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सांझा खाता की कृषि भूमि की लेकर अर्सा दराज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण के साथ काश्त की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए घराघरू ब्रहमी बंटवारा कर लिया था बंटवारा के रोज से वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर वादी की शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नही है। वादी के हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्नप्रकार से है चक 1 एमजेडी के खाता संख्या 38/41 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 पं.नं. 178/117 मु.नं. 13 किला नं. 6/0.215 है. गे.मु. 0.038 है. पं.नं. 179/177 मु.नं. 14 किला नं. 10/0.253 है. कुल 0.506 मय गै.मु.

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1.517 है. मे से 0.506 है. मय गै.मु. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त हिस्सा की कृषि भूमि वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त कृषि भूमि को वादी द्वारा महेनत व खर्च कर सुधार कर लिया है और बंटवारा के रोज से ही उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी अपनी उक्त बंटवारा अनुसार प्राप्त कृषि भूमि का खाता अलग करवा काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का घराघरू बंटवारा वाद पत्र चरण संख्या 3 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण सींवबट रकम राज आबयाना बैक ऋण इत्यादि अनावश्यक परेशानी रहती है। जबकि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार अपना

खाता सहखातेदारो से अलग कायम करवाने अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने गतसप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का खाता घरूबंटवारा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार अलग कायम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे तो प्रतिवादीगण पहले तो आजकल आजकल करते रहे परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी वीर सिह पुत्र टहल सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सहकाश्तकार है। इनकी तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाये जाने पर भी उपस्थित नही हुये है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 चक 1 एमजेडी के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। अतः वादी खाता विभाजन का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तामील के बावजूद उपस्थित नही आने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि वादी का चक 1 एमजेडी के पं.नं. 178/117 मु.नं. 13 किला नं. 6/0.215 है. एवं पं.नं. 179/177 मु.नं. 14 किला नं. 10/0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–99/2016

1 वीर सिह पुत्र टहल सिह जाति मजबी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1 मांगीलाल पुत्र श्री सुरजाराम
2 राकेश } पि.प्रभुराम
3 हरबंश }
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

} जाति बावरी साकिन ढाणी 1 एमजेडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वादी मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण ..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादी में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी का चक 1 एमजेडी के पं.नं. 178/117 मु.नं. 13 किला नं. 6/0.215 है. एवं पं.नं. 179/177 मु.नं. 14 किला नं. 10/0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक में रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही अमल दरामद किया जावे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 13:27:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: